

● समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते के लिए दावे का प्रपत्र

तिथि	कार्यदिवस अथवा अवकाश दिवस	अवधि/ समय	वास्तविक समय	एक घंटा कम करने के बाद प्रभारित समय और कर्मचारी के कार्यालय देर से उपस्थित होने या भोजनावकाश का समय, जैसी भी स्थिति हो ।	प्रति घंटे की दर	दावे की राशि
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम व पदनाम) उपर लिखी तिथियों के आगे दशाई गई अवधि में सरकारी कार्य के लिए शनिवार/अवकाश के दिन/कार्यालय समय के बाद ड्यूटी पर था । अवधि के दौरान मेरा वेतन व भत्ते निम्नलिखित हैं :-

वेतन रु. मंहगाई भत्ता रु. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता
 कुल रु. दावा की गई ओवरटाइम की राशि
 (मासिक परिलब्धियों का 1/3 तक सीमित)

स्थान :
दिनांक

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
पदनाम

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिस सरकारी कर्मचारी के मामले में इस बिल में ओवरटाइम भत्ते का दावा किया गया है, उसे दिनांक
रविवार/अवकाश के दिन सार्वजनिक हित में अत्यावश्यक कार्य के निपटान के लिए विशेष आदेशों के तहत कार्यालय समय के बाद कार्यालय में बैठने की स्वीकृति दी गई थी । इस कार्य को अगले कार्यदिवस के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में दावा की गई राशि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के दिनांक 11 अगस्त, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15011/2/ई.॥ के पैरा 7 में निर्धारित दरों के अनुरूप है और उसमें दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार है तथा इन आदेशों में निर्धारित ओवरटाइम लेने की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं है । 'वैयक्तिक स्टाफ' को निर्धारित उच्चतम सीमा के अतिरिक्त ओवरटाइम भत्ते की अदायगी के लिए संबंधित अधिकारी से आवश्यक प्रमाणपत्र लिया जा चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी/कर्मचारियों ने ओवरटाइम कार्य के निष्पादन के लिए कोई भी अन्य पारिश्रमिक, वाहन किराया या प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं लिया है ।

हस्ताक्षर)

(आदान अधिकारी के